सहायक कलक्टर चौमूं
भगवान सहाय / राज० सरकार

35/18

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	
	11/5/23	प्रिसाइडिंग ऑफीसर दौरे / अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 6/6/23 को पेश हो।	
	6/6/23	पत्रावली आज ... 2023 ... मुतलिबा ... में पेश हुई। ... आदेशानुसार दिनांक 7/7/23 ...	
	07/7/23	वा.क.उप. । बहस सुनी गयी। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर खा०कि० किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला–जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

मुकदमा नं0:–35 / 2018

उनवान

भगवान सहाय पुत्र सेडूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
2. गुलाब सिंह पुत्र रामलाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. गीता पुत्री मूंगी
4. रामदेव पुत्र नाथू
5. रामेश्वर पुत्र सेडू
6. लादू पुत्र भूरा
7. शंकर पुत्र भूरा
8. सन्ति पुत्री मूंगी
9. सुरजी पुत्री मूंगी
10. हणमान पुत्र नाथू
11. गंगा पत्नी सेडू
12. गोपाल पुत्र हनुमान
13. धूडाराम पुत्र हनुमान
14. धन्नी पत्नी हनुमान
15. पतासी देवी पत्नी कुशलाराम
16. भूदाराम पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

निर्णय

निर्णय दिनांक :–07.07.2023

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का रहने वाला कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर काबिज होकर खातेदारी भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा है। यह कि वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 126 जिसके खसरा नं0 104 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 105 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 107 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 129 / 1158 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 130 / 985 रकबा 0.15 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 29 के आराजी खसरा नं0 110 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 111 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 115 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 131 रकबा 1.24 है0, खसरा नं0 132 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 139 रकबा 0.83 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 30 के खसरा नं0 102 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 122 / 984 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 124 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 125 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 126 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 127 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 128 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 129 रकबा 0.88 है0, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि व वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 566 के खसरा नं0 1005 / 2292 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1006 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 1007 / 2309 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.97 हैक्टर भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 2 ता 16 के नाम से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं।

उक्त वर्णित भूमियों के राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से वादी का नाम भगवान्या पुत्र सेडू दर्ज हो गया जबकि वादी के सभी दस्तावेजों में वादी का नाम भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दर्ज है तथा वादी को आमजन में भगवान सहाय पुत्र सेडूराम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। अतः उक्त भगवान्या पुत्र सेडू व भगवाना पुत्र सेडू नाम अशुद्ध है, जिनके सथान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित किया जाना न्यायोचित होगा। वादी का असली व पहचान का नाम भगवान सहाय पुत्र सेडूराम है तथा समाज व परिवार में भी इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटिवश

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

भगवान्या पुत्र सेडू व भगवाना पुत्र सेडू दर्ज हो गया, जिससे वादी को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकारी विभागों में नाम की भिन्नता हाने से पहचान भी स्पष्ट नहीं हो पा रही है तथा अपनी राजस्व भूमि के उक्त खाते के रिकॉर्ड में भगवान्या पुत्र सेडू व भगवाना पुत्र सेडू होने से ऋण लेने में भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। वादी द्वारा राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दुरुस्त करवाकर सम्मानजनक नाम क़रवाने हेतु प्रतिवादी सं0 1 को प्रार्थना पत्र दिनांक 19.06.2018 को पेश किया जिस पर प्रतिवादी सं0 1 के अधीनस्थ कर्मचारी संबंधित पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें भी पटवारी हल्का द्वारा स्पष्ट रिपोर्ट दी गई कि भगवाना, भगवान्या व भगवान सहाय एक ही व्यक्ति के नाम हैं तथा राजस्व रिकॉर्ड में भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है तथा वादी का सही नाम भगवान सहाय पुत्र सेडूराम है, के संबंध में ग्राम पंचायत गुडलिया द्वारा भी दिनांक 22.05.2018 को प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 को दिनांक 25.06.2018 को उक्त समस्त तथ्यों के आधार पर नाम दुरुस्त करने के लिए कहा तो प्रतिवादी ने उक्त नाम दुरुस्ती बाबत सक्षम न्यायालय में चाराजोही करने हेतु कहा। इसलिए उक्त वादपत्र पेश करना लाजमी आया है।

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में यह अनुतोष चाहा गया है कि वाद वादी का डिक्री फरमाया जाकर वादपत्र में वर्णित आराजियात में वादी का नाम भगवान्या पुत्र सेडू व भगवाना पुत्र सेडू के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम की घोषणा की जावे तथा तदनुसार इन्द्राजात दुरुस्ती की जावे तथा प्रतिवादी सं0 1 को आदेशित किया जावे कि वादी का नाम उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें।

वादी द्वारा स्वयं का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया गया है। प्रतिवादी सं0 1 तहसीलदार चौमूं के अधीनस्थ कर्मचारी संबंधित पटवारी हल्का द्वारा फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 19.06.2018 पेश की गई है, जिसके मुताबिक भगवान सहाय पुत्र सेडूराम, भगवाना पुत्र सेडू, भगवान्या पुत्र सेडू एक ही व्यक्ति के नाम हैं। अतः हाल खाता संख्या 126, 29, 30 वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर व हाल खाता सं0 566 वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी का नाम भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दुरुस्त किया जाना उचित होगा।

प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा अपने हिस्से की खातेदारी भूमि में अपना नाम भगवाना पुत्र सेडू व भगवान्या पुत्र सेडू के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दुरुस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। पत्रावली व दस्तावेजात के अवलोकन व फर्द मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी भगवाना पुत्र सेडू, भगवान्या पुत्र सेडू व भगवान सहाय पुत्र सेडूराम एक ही व्यक्ति के नाम हैं। न्यायालय अभिमत में भगवाना

सहायक कलक्टर

पुत्र सेडू व भगवान्या पुत्र सेडू के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम नाम दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 126, जिसके खसरा नं0 104 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 105 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 107 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 129 / 1158 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 130 / 985 रकबा 0.15 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 29 के आराजी खसरा नं0 110 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 111 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 115 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 131 रकबा 1.24 है0, खसरा नं0 132 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 139 रकबा 0.83 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 30 के खसरा नं0 102 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 122 / 984 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 124 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 125 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 126 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 127 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 128 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 129 रकबा 0.88 है0, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि व वाके ग्राम ढ़ोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 566 के खसरा नं0 1005 / 2292 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1006 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 1007 / 2309 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भगवाना पुत्र सेडू व भगवान्या पुत्र सेडू के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.07.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
चौमूँ

मुकदमा सं0–35/2018
उनवान–भगवान सहाय बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 07.07.2023

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :–श्री राजेश जाखड़ (R.A.S.)

उनवान

भगवान सहाय पुत्र सेडूराम, जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

–वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये लैण्ड होल्डर उपतहसीलदार, उपतहसील गोविन्दगढ़, जिला जयपुर।
2. गुलाब सिंह पुत्र रामलाल सिंह, जाति राजपूत, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. गीता पुत्री मूंगी
4. रामदेव पुत्र नाथू
5. रामेश्वर पुत्र सेडू
6. लादू पुत्र भूरा
7. शंकर पुत्र भूरा
8. सन्ति पुत्री मूंगी
9. सुरजी पुत्री मूंगी
10. हणमान पुत्र नाथू
11. गंगा पत्नी सेडू
12. गोपाल पुत्र हनुमान
13. धूडाराम पुत्र हनुमान
14. धन्नी पत्नी हनुमान
15. पतासी देवी पत्नी कुशलाराम
16. भूदाराम पुत्र नाथूराम उर्फ नाथ्या

    समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स जरिये शाखा किशनपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
18. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया जरिये शाखा सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।

–प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–35/2018
उनवान–भगवान सहाय बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 07.07.2023

वाद बाबत घोषणा एवं इन्द्राज दुरुस्ती

मुकदमा नं0:–35/2018

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादी मिनजामिन मुददई रूबरू श्री राजेश जाखड़ आर.ए.एस. मिनजामिन मुददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

वाके ग्राम छोटागुढ़ा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में वादी की खातेदारी भूमि हाल खाता सं0 126, जिसके खसरा नं0 104 रकबा 0.33 है0, खसरा नं0 105 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 106 रकबा 0.26 है0, खसरा नं0 107 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 108 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 109 रकबा 0.31 है0, खसरा नं0 129/1158 रकबा 0.06 है0, खसरा नं0 130/985 रकबा 0.15 है0, कुल किता 8 का कुल रकबा 2.03 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 29 के आराजी खसरा नं0 110 रकबा 0.44 है0, खसरा नं0 111 रकबा 0.50 है0, खसरा नं0 112 रकबा 0.17 है0, खसरा नं0 113 रकबा 0.42 है0, खसरा नं0 114 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 115 रकबा 0.20 है0, खसरा नं0 131 रकबा 1.24 है0, खसरा नं0 132 रकबा 1.03 है0, खसरा नं0 139 रकबा 0.83 है0, कुल किता 9 का कुल रकबा 5.01 हैक्टेयर भूमि व नया खाता सं0 30 के खसरा नं0 102 रकबा 0.36 है0, खसरा नं0 120 रकबा 0.47 है0, खसरा नं0 122/984 रकबा 0.07 है0, खसरा नं0 123 रकबा 0.56 है0, खसरा नं0 124 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 125 रकबा 0.25 है0, खसरा नं0 126 रकबा 0.45 है0, खसरा नं0 127 रकबा 0.19 है0, खसरा नं0 128 रकबा 0.21 है0, खसरा नं0 129 रकबा 0.88 है0, कुल किता 10 का कुल रकबा 3.69 हैक्टेयर भूमि व वाके ग्राम ढोढ़सर, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के नया खाता सं0 566 के खसरा नं0 1005/2292 रकबा 0.02 है0, खसरा नं0 1006 रकबा 0.87 है0, खसरा नं0 1007/2309 रकबा 0.08 है0, कुल किता 3 का कुल रकबा 0.97 हैक्टर भूमि में वादी के हिस्से की खातेदारी भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम भगवाना पुत्र सेडू व भगवान्या पुत्र सेडू के स्थान पर भगवान सहाय पुत्र सेडूराम दुरुस्त कर तदनुसार इन्द्राज किया जावे।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 07.07.2023 को जारी किया गया।

मोहर

दस्तखत ....
सहायक कलक्टर
ओहदा........ चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–35 / 2018
उनवान–भगवान सहाय बनाम राज0 सरकार
निर्णय दिनांक– 07.07.2023

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. स्टाम्प वजह सबूत 4. महन्ताना वकील 5. खर्चा गवाहन 6. फीस कमिश्नर 7.बाबत इजराय हुक्मनामा 8.मुतफरिक	2 2	1. स्टाम्प अर्जी दावा 2. स्टाम्प वकालतनामा 3. महन्ताना वकील 4. खर्चा गवाहन 5. फीस कमिश्नर 6.बाबत इजराय हुक्मनामा 7.मुतफरिक	
जोड़	4	जोड़	0

सहायक कलक्टर
चौमूँ (जयपुर)